रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932
No. 149] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

सा.का.नि. 263(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 258"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2010 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	17616.00
अरुणाचल प्रदेश	500.00
असम	5135.63
बिहार	12054.00
छत्तीसगढ़	11777.00
गोवा	150.00
गुजरात	4698.00
हरियाणा	1500.00
हिमाचल प्रदेश	374.00
जम्मू-कश्मीर	3400.00
झारखंड	26400.00
कर्नाटक	27180.00
केरल	6664.00
मध्य प्रदेश	4750.00
महाराष्ट्र	10500.00
मणिपुर	887.50
मिज़ोरम	2063.00
नागालैंड	750.00
उड़ीसा	2156.00
पंजाब	1240.00

(1)	(2)
राजस्थान	5307.50
सिक्किम	4000.00
तमिलनाडु	11672.00
त्रिपुरा	290.00
उत्तर प्रदेश	32411.00
उत्तराखंड	7357.00
पश्चिमी बंगाल	12781.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो, इस प्रकार संदत्त अधिक रकम ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संबद्ध राज्य सरकार को संदेय हो सकती है ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(8)/2010-वि. I]
वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 263(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 258"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 8 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Conoslidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified it against in column (2) of the said Table, towards expenditure for State Specified Needs, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	17616.00
Arunachal Pradesh	500.00
Assam	5135.63
Bihar	12054.00
Chhattisgarh	11777.00
Goa	150.00
Gujarat	4698.00
Haryana	1500.00
Himachal Pradesh	374.00
Jammu and Kashmir	3400.00
Jharkhand	26400.00
Karnataka	27180.00
Kerala	6664.00
Madhya Pradesh	4750.00
Maharashtra	10500.00
Manipur	887.50
Mizoram	2063.00
Nagaland	750.00
Orissa	2156.50
Punjab	1240.00
Rajasthan	5307.50
Sikkim	4000.00
Tamil Nadu	11672.00
Tripura	290.00
Uttar Pradesh	32411.00
Uttarakhand	7357.00
West Bengal	12781.00

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for State Specific Needs and approved by the High Level Committee of the State:

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the concerned State Government in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(8)/2010-Leg. I]
V. K. BHASIN, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.